

जिलाधिकारी महोदय, आगरा की अध्यक्षता में दिनांक 18 जून, 2025 को शाम 4:30 बजे से जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

जिलाधिकारी महोदय, आगरा की अध्यक्षता में दिनांक 18.06.2025 को जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक कलेक्टर शिवत राणागर में सम्पन्न हुई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, आगरा अपर जिलाधिकारी (संवर्गीय), आगरा, अधिशासी अभियंता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) आगरा समस्त सहायक अभियंता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), श्री पंकज अग्रवाल, रिजर्व्ट विभाग श्री मनीष कुमार जिला पंचायत राज अधिकारी, श्री ललित कुमार, वन रेंज अधिकारी, श्री सुभाष सक्सेना, जिला कार्यक्रम अधिकारी, श्री श्रीराम आनंद, ए०सी०ए०ए० श्री दीपक कुमार, भूगर्भ जल विभाग, डॉ० सुरील कुमार, हिन्दी सीएमओ, श्री मन्देश्वर जिला विद्यालय निरीक्षक श्री रामायण सिंह माधव जिला विकास अधिकारी, श्रीमती नीलम तिवारी उपजिलाधिकारी विन्नावली, श्री विवेक सहायक अभियंता लघु सिंचाई, श्री वीरेंद्र सिंह बीबीओ फतेहपुर सीकरी, श्री ललित कुमार, सहायक अभियंता पी०डब्ल्यू०डी० श्री रविन्द जैन, डीपीएम, टीपीआई, श्री आनन्द कुमार सिंह जिला समन्वयक, डीपीएम, कार्यदायी संस्था में एन०सी०सी० लि० से श्री रमेश कुमारा डीजीएम, पी० गेप इंजीनियरिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि० से श्री दीपक, श्री दीपक कुमार डीपीएम और श्री वन्देय यादव इंजीनियरिंग आदि उपस्थित रहे।

बैठक में सहायी स्त्रोत आधारित ग्राम समूह पेयजल योजना की प्रगति पर एजेन्डीवार चर्चा की गयी -

मै० एन०सी०सी०-एफके(जे०बी०), पैकेज-०1

1. भूजल जलाशय (CWR) की प्रगति- जल जीवन मिशन के अन्तर्गत मै० एन०सी०सी० द्वारा कुल 17 सीडब्ल्यूआर का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। टीपीआई द्वारा बताया गया कि कार्य की प्रगति अत्यंत धीमी है। 07 सीडब्ल्यूआर पर 51-75 प्रतिशत एवं 10 सीडब्ल्यूआर पर 78-99 प्रतिशत कार्य प्रगति पर है जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा डीजीएम, एन०सी०सी० को तत्काल मैनपावर व मशीनरी बढ़ाते हुए सर्वोच्च प्राथमिकता पर कार्य प्रारम्भ करने के निर्देश दिये गये। इसके साथ ही निर्देशित किया गया कि टीपीआई तथा जल निगम के अभियंताओं द्वारा आरएमसी प्लॉट पर निर्माण सामग्री की नियमित जाँच की जाये।
2. पम्प हाउस (Pump House) की प्रगति- जल जीवन मिशन के अन्तर्गत मै० एन०सी०सी० द्वारा 17 सीडब्ल्यूआर तथा 17 पम्प हाउस का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। टीपीआई द्वारा बताया गया कि 9 सीडब्ल्यूआर के पम्प हाउस पर 51-75 प्रतिशत एवं 08 सीडब्ल्यूआर के पम्प हाउस पर 78-99 प्रतिशत कार्य प्रगति पर है जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा डीजीएम, एन०सी०सी० को तत्काल मैनपावर व मशीनरी बढ़ाते हुए सर्वोच्च प्राथमिकता पर कार्य प्रारम्भ करने के निर्देश दिये गये।
3. पाइप लेइंग - अधिशासी अभियंता उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि कार्यदायी संस्था को कुल 1987.71 किमी पाइप डिमांड जाने के लिये 1065 किमी कार्य पूर्ण हो चुका है। जिसमें से MS Pipe 105.31 किमी एवं DI Pipe 1802.40 किमी डिमांड जाना प्रस्तावित है MS Pipe 149.68 किमी एवं DI Pipe 1347.62 किमी। पाइप की आपूर्ति की जा चुकी है तथा MS Pipe 642 किमी एवं DI Pipe 1003.80 किमी पाइप लाइन बिछाये जाने का कार्य पूर्ण हो चुका है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा डीजीएम एन०सी०सी० को निर्देशित किया गया कि रोप पाइप की आपूर्ति कर ली जाये तथा टीम व मैनपावर को संख्या बढ़ाते हुए स्वीकृत ड्राइंग एवं डिजाइन तथा गुणवत्ता मानकों का पालन कराते हुए कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
4. हाइड्रोटेस्टिंग- समीक्षा बैठक में अधिशासी अभियंता उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि 1085 किमी पाइप लेइंग की गयी है जिसके लिये 163.97 किमी की हाइड्रोटेस्टिंग हुई है जो कि बहुत कम है इस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा नाराजगी व्यक्त की गयी तथा डीजीएम, एन०सी०सी० को निर्देशित किया गया कि निर्धारित मानकों के अनुसार सभी पाइपों की हाइड्रोटेस्टिंग की जाये। हाइड्रोटेस्टिंग टीपीआई तथा जल निगम के सहायक अभियंता/अपर अभियंताओं की उपस्थिति में की जाये। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि जो पाइप बिछाये जा चुके हैं सभी की अनिवार्य रूप से मानक के अनुसार प्रेशर बनाए रखते हुए हाइड्रोटेस्टिंग की जाये जिससे भविष्य में पानी लीकेज की समस्या न हो।
5. डिजाइन व ड्राइंग- टीपीआई के डीपीएम द्वारा बताया गया कि कहीं-कहीं साइट पर कार्य हेतु एप्रूव्ड ड्राइंग, कॉन्ट्रैक्टर द्वारा टीपीआई के कर्मचारियों को नहीं दी जा रही है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा अधिशासी अभियंता को निर्देशित किया गया कि सभी एप्रूव्ड ड्राइंग की सूची तत्काल टीपीआई को उपलब्ध करायी जाए तथा जिन ड्राइंगों का विभाग द्वारा एप्रूव्ड नहीं हुआ है कॉन्ट्रैक्टर उन्हें अतिशीघ्र विभाग द्वारा एप्रूव्ड कराकर टीपीआई को उपलब्ध कराये। टीपीआई तथा अधिशासी अभियंता उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) व समस्त सहायक अभियंताओं को निर्देशित किया गया कि विभाग द्वारा एप्रूव्ड डिजाइन के अनुसार ही निर्माण कार्य कराये।
6. रोड रेस्टोरेशन- अधिशासी अभियंता द्वारा बताया गया कि कार्यदायी संस्था मै० एन०सी०सी० द्वारा रोड डिस्टेंसिंग 19.52 किमी की गयी है जिसके लिये 4.11 किमी कार्य पूर्ण किया जा चुका है। शेष 15.41 किमी रोड रेस्टोरेशन का कार्य लंबित है। जिला पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा डीजीएम, एन०सी०सी० को तत्काल मैनपावर व मशीनरी बढ़ाते हुए रोड रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

7. ग्रीन-कॉलाबस रिपोर्ट- टीवीआई के डीपीएम द्वारा बताया गया कि 10 एनएचटीसी पर कुल 87 एनएचटीसी लगायी गयी थी जिसमें से 53 एनएचटीसी का अनुपालन हो गया है। बांगान ने 13 एनएचटीसी अभी लम्बित है जिसको अभी तक कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्ण नहीं की गया है। जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा 10 एनएचटीसी को डीपीएम को निर्देशित किया गया कि जल्द से जल्द लम्बित एनएचटीसी का नियमानुसार पूर्ण कराये तथा अनुपालन आख्या भिजवाये।
8. एनओडीसी- अधिशासी अभियंता 2090 जल निगम(ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि 10 एनएचटीसी को वन विभाग से को एनोकेशन का डिमाण्ड नोट प्राप्त हो गया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा 10 एनएचटीसी को डीपीएम को निर्देशित किया गया कि नियमानुसार स्टैमेट फीस को भुगतान को तत्काल किया जाये। इसके साथ-साथ रेतने से सम्बंधित जिलानी भी एनओडीसी के लिए उरको के लिए डीओआरएन महोदय से बातें कर प्रभावी पैसी सुनिश्चित करें। तथा अधिशासी अभियंता जल निगम को निर्देशित किया जाता है कि अद्योहस्ताक्षरी को रतन से लम्बित अनुमति/अनापत्ति प्राप्त किये जाने हेतु शासन में पत्र प्रेषित कराये।

मै0 मेघा इंजीनियरिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0, पैकेज-02

1. अवर जलराश (OHT) की प्रगति- अधिशासी अभियंता 2090 जल निगम (ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि कार्यदायी संस्था मै0 मेघा इंजीनियरिंग द्वारा अभी तक 407 के सामेक्ष मात्र 288 ओएचटी पर कार्य किया जा रहा है। जिसमें 147 ओएचटी पर 0-25 प्रतिशत, 101 ओएचटी पर 28-50 प्रतिशत, 81 ओएचटी पर 51-75 प्रतिशत, 36 ओएचटी पर 76-78 प्रतिशत कार्य प्रगति पर है। टीवीआई द्वारा बताया गया कि 388 ओएचटी पर पीसीसी का कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष बची हुई 08 ओएचटी पर सुदाई का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं 30 ओएचटी पर कार्य अनास्था है। 216 ओएचटी ग्राउण्ड लेवल से ऊपर आ चुकी है। 84 ओएचटी पर स्टैजिंग शीम का कार्य हो चुका है। 36 ओएचटी पर स्लैब का कार्य पूर्ण हो चुका है। जिसमें से 09 ओएचटी पर जिक एलन टैंक का कार्य पूर्ण हो चुका है। तथा 01 ओएचटी पर आरसीसी टॉप का कार्य प्रगति पर है। टीवीआई द्वारा बताया गया 3102 के सामेक्ष मात्र 441 नैनोवर उपलब्ध है जो कि बहुत कम है जिससे निर्माण कार्य अत्यंत धीमे गति से हो रहा है जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा नाराजगी प्रकट करते हुए मै0 मेघा इंजी0 के डीपीएम को निर्देशित किया गया कि नैनोवर नैनोवर बढ़ाये एवं कार्य को भरतमय गुणवत्ता के साथ पूर्ण करें तथा शेष बची 30 ओएचटी पर शीघ्र ही सुदाई/पीसीसी का कार्य कराये साथ ही अधिशासी अभियंता जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि अधिशासी निदेशक राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ को कार्यों की धीमी प्रगति एवं आवश्यकता से वन लेवर लगाये जाने के सम्बन्ध में अद्योहस्ताक्षरी के माध्यम से पत्र भिजवाये।

2. पाइप लेइंग- अधिशासी अभियंता 2090 जल निगम (ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि पाइप लेइंग के अन्तर्गत कुल 7567.78 किमी पाइप बिछाये जाने का लक्ष्य है जिसमें से कुल 6033 किमी पाइप की आपूर्ति की जा चुकी है तथा कुल 444 किमी पाइप लाइन बिछाये जाने का कार्य पूर्ण हो चुका है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा मै0 मेघा के डीपीएम को निर्देशित किया गया कि वह शेष डिस्ट्रीब्यूशन पाइप की आपूर्ति को लक्ष्य के सामेक्ष पूर्ण कराना सुनिश्चित करें तथा टीएम व मैन पावर की संख्या बढ़ाते हुए गुणवत्ता मानकों का पालन कराते हुए कार्य कराना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही टीवीआई को निर्देशित किया गया कि पाइप बिछाये जाने के दौरान लेइंग की गहराई का विशेष ध्यान रखते हुए मानक के अनुसार कार्य कराना सुनिश्चित करें। अधिशासी अभियंता जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि अधिशासी निदेशक राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ को पाइप लेइंग की धीमी प्रगति के सम्बन्ध में अद्योहस्ताक्षरी के माध्यम से पत्र निर्गत कराया जाये।

3. हाइड्रोटेस्टिंग- समीक्षा बैठक में अधिशासी अभियंता 2090 जल निगम(ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि 4414 किमी पाइप लेइंग की गति है जिसके सामेक्ष 38359 किमी की हाइड्रोटेस्टिंग हुई है जो कि बहुत कम है इस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा नाराजगी व्यक्त की गयी तथा टीएम, मेघा इंजी0 को निर्देशित किया गया कि निर्धारित मानकों के अनुसार सभी पाइपों की हाइड्रोटेस्टिंग की जाये। हाइड्रोटेस्टिंग टीवीआई तथा जल निगम के सहायक अभियंता/अवर अभियंताओं की प्वाइंट उपस्थिति में की जाये। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि जो पाइप बिछाये जा चुके हैं सभी की अनिवार्य रूप से मानक के अनुसार प्रेशर बनाए रखते हुए हाइड्रोटेस्टिंग की जाये जिससे भविष्य में पानी लीकेज की समस्या न हो।

4. एफओएचटीसी की स्थिति- अधिशासी अभियंता 2090 जल निगम(ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद आगरा में कार्यदायी संस्था मै0 मेघा इंजीनियरिंग को 810 राजस्व ग्रामों में कुल 296833 एफओएचटीसी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसके सामेक्ष 111967 एफओएचटीसी कनेक्शन दिये गये हैं। मै0 मेघा इंजीनियरिंग को निर्देशित किया गया कि मशीनरी व लेबर की संख्या बढ़ाते हुए नल संयोजन की गति को तीव्र करार। हाउस टैप कनेक्शन को धन के अन्दर तक पहुंचाया जाए एवं स्कूलों, पंचायतों, भवनों, आंगनवाड़ी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों व अन्य सरकारी भवनों पर भी नियमानुसार नल संयोजन कराये जाए तथा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक वडा में एफओएचटीसी कनेक्शन घर के अन्दर ही हो एवं सही तरीके से कनेक्शन व जाइंटिंग की जाये।

5. रोड रेस्टोरेशन- अधिशासी अभियंता द्वारा बताया गया कि कार्यदायी संस्था मै0 मेघा इंजी0 द्वारा रोड डिस्ट्रिब्यूशन 1144.46 किमी की गति है जिसके सामेक्ष में 887.16 किमी कार्य पूर्ण किया जा चुका है। शेष 277.3 किमी रोड रेस्टोरेशन का कार्य लम्बित है। जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा नाराजगी प्रकट की गयी। मै0 मेघा के डीपीएम को निर्देशित किया गया कि तत्काल नैनोवर व मशीनरी बढ़ाते हुए रोड रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें एवं पाइप लाइन बिछाये के दौरान टीवीआई रोड की कटिंग जे0सी0 से न कराकर रोड कटर से कराये व कॉम्पेक्टर के माध्यम से पूर्ण कोंपैक्शन कराये। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए रोड रेस्टोरेशन का कार्य अधिशासी अभियंता जल निगम (ग्रामीण) अपनी देख रेख में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। इसके साथ-साथ जहाँ-जहाँ पर निर्माण कार्य

चल रहे हैं वहाँ सेफटी मेजर का विशेष ध्यान रखा जाये, यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही होती है तो सम्बन्धित की जबाबदारी निर्धारित करते हुए कठोर कार्यवाही की जायेगी। अधिशासी अभियंता जल निगम (ग्रामीण) आगरा को निर्देशित किया गया कि अधिशासी निदेशक राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ को शीघ्र रेस्टोरेशन की प्रगति समीक्षात्मक न होने के सम्बन्ध में अवगतवाक्याही के माध्यम से तब निर्गत कराया जाये।

6. नॉन-कंप्लायंस रिपोर्ट- टीसी03आई को डीपीएम द्वारा बताया गया कि 10 मेघा इंजीनियरिंग को कुल 145 एनसी0 लगानी गयी थी जिसमे से 88 एनसी0 का अनुपालन हो गया है। वर्तमान में 47 एनसी0 अभी लंबित है जिनको अभी तक कार्यवाही तथा द्वारा पूर्ण नहीं की गयी है, जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा 10 मेघा इंजीनियरिंग को डीपीएम को निर्देशित किया गया कि जल्द से जल्द लंबित एनसी0 को विधेयानुसार पूर्ण कराना सुनिश्चित करे।
7. एन0300सी0- अधिशासी अभियंता उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि 10 मेघा इंजी0 द्वारा एन0300सी0 के कार्यों में रुकित नहीं ली जा रही है उन विभाग में NOC के लिए 10 मेघा इंजी0 द्वारा ऑनलाइन आवेदन नहीं किया गया। अतः 10 मेघा इंजी0 को डीपीएम को निर्देशित किया गया कि उन विभाग की एन0300सी0 तत्काल अप्लाई करें। इसके साथ-साथ अधिशासी अभियंता जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि एनओसी के सम्बन्ध में यह देख ले कि 10 एनसी0 में 10 मेघा इंजी0 में आवेदन हेतु यदि कोई एनओसी लंबित है तो तत्काल अप्लाई कराये।

अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि परियोजना के जोएचटी, सीटब्ल्यूआर पर निर्माण कार्यों तथा पाइप लेइंग आदि को निर्धारित डिजाइन ड्राइंग एवं गुणवत्ता मानकों के अनुसार तीव्र गति से पूर्ण कराये, नल संयोजन प्रत्येक वडा में घरों के अन्दर विद्ये जाये। शीघ्र रेस्टोरेशन के कार्यों को गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए पूर्ण कराया जाये तथा सुरक्षा मानकों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाये। यदि भविष्य में निरीक्षण में उक्त के सम्बन्ध में लापरवाही/कमी पायी जाती है अथवा इस सम्बन्ध किसी भी प्रकार की शिकायत की पुष्टि होती है तो अनुबंध के अनुसार सुरक्षित धाराओं/शर्तों के अन्तर्गत कठोर दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आप सभी का होगा।

अधिशासी अभियंता / सदस्य सचिव
(जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन)
आगरा।

कार्यालय जिलाधिकारी आगरा। (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति)

पत्रांक 730 /जे0जे0एम0/का0प्र0 / 28/05 /
प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

दिनांक 21-6-2025

1. अधिशासी निदेशक महोदय राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को सादर अवलोकनार्थ।
2. जिलाधिकारी महोदय को सादर सूचनार्थ।
3. मुख्य विकास अधिकारी महोदय।
4. अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, आगरा।
5. अधिशासी अभियंता उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), आगरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सतत पर्यवेक्षण करते हुए गुणवत्ता मानकों को लागू कराते हुए अनुपालन कराना सुनिश्चित करे।
6. अधिशासी अभियंता उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) आगरा को इस निर्देश के साथ जहाँ-जहाँ शिपिल कार्य पूर्ण हो चुका है वहा पर E&M के लपकरण/मरौनरी की आपूर्ति कराकर शीघ्र ही इन्स्टॉलेशन का कार्य प्रारम्भ कराये।
7. समस्त सहायक अभियंता उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), आगरा इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह स्वयं अपने-अपने क्षेत्रों में जाकर अपने पर्यवेक्षण में गुणवत्ता एवं मानकों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।
8. डी0पी0एम0, फिनान्स कन्सल्टिंग इंजीनियर्स (इण्डिया) प्रा0 लि0 आगरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सतत पर्यवेक्षण करते हुए गुणवत्ता मानकों का विशेष ध्यान रखें।
9. जिला समन्वयक, जिला परियोजना अनुश्रवण इकाई (डी0पी0एम0यू0), आगरा को अनुपालनार्थ।
10. डी0पी0एम0, मैसर्स एन0सी0सी0 एणको (जे0टी0) (पैकेज-1), आगरा को अनुपालनार्थ।
11. प्रोजेक्ट मैनेजर मैसर्स मेघा इंजी0 एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 (पैकेज-2), आगरा को अनुपालनार्थ।

अधिशासी अभियंता / सदस्य सचिव